

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... राखलसर .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... राखलसर ..... व भू.अ.नि. रामगढ़ ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... नारसर एरदमालपुर ..... तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 207477 में खाता संख्या 80 नया 86 पुराना ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	नारसर एरदमालपुर रहन व कन्न प्रविष्टि	80 नया 86 पुराना कन्न अभाव	वाहद कली खां पुत्र फुले खां सुलेमान खां पुत्र फुले खां	वाहद कली खां पुत्र फुस खां सुलेमान खां पुत्र फुस खां

क्रमांक :- 2288  
प्रतिलिपि :- 7.6.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री वाहद कली व सुलेमान पुत्र गण फुस खां को सूचना दी।
3. रक्षित पत्रावली।

फाथमसर

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)